न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 84/2021

1 बादामी पत्नी सोहन।
2 छोटूराम पुत्र सोहन।
3 मोजीराम पुत्र सोहन।
4 सन्तोष पुत्री सोहन समस्त जाति गुर्जर निवासीगण पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मालाराम पुत्र माडूराम जाति गुर्जर निवासी पांचू खंरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2 उप तहसीलदार ग्राम पाटन जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 18.10.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना प्रकरण अनुवानी मालाराम बनाम बादामी आदि मुकदमा नम्बर 83/2021 अस्थायी निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 12.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 1.26 हैक्टेयर तन ग्राम पांचू खरकड़ा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित है उक्त आराजी अपीलांट के 1/2 भाग के खाते, कब्जे काश्त की भूमि है व 1/2 भाग की एक व्यक्ति गोड़ा पुत्र लक्ष्मण के खाते कब्जे की भूमि है व अन्य खसरे की उक्त खाते में अपीलांट व गोदा के खातेदारी की भूमियां है जिनमें से रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने कब्जे अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 26 व 41 के 1/2 भाग पर कब्जा बताते हुए विचारण न्यायालय में दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं दावे के साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वाद के साथ वादी/रेस्पोडेंट किसी प्रकार का दस्तावेजी सबूत खसरा गिरदावरी लगान की रसीद या लिखावट आदि कुछ भी दस्तावेज कब्जे सम्बंधी प्रस्तुत नही किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट के पक्ष में है विचारण न्यायालय ने दावा व दावे के साथ आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व दावे का अध्ययन किये बिना ही रेस्पोडेंट के पक्ष में विरूद्ध कानून अपनी आज्ञा दिनांक 18.10.2021 के अन्तरिम आज्ञा विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने की पारित कर दी। अत विचारण न्यायालय की आज्ञा दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना विचाराधीन एक पक्षीय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अन्तरिम स्थगन जारी किया है। इससे अपीलांट के हक प्रभावित हो रहे है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन स्थगन खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश एक पक्षीय रूप से अन्तरिम रूप से जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, ना ही अन्य चाराजोही की गई है। धारा 212 के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश एक पक्षीय रूप से अन्तरिम रूप से जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ना तो जवाब प्रस्तुत किया गया है, ना ही अन्य चाराजोही की गई है। धारा 212 के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर विचाराधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देश दिए जाते है कि प्रकरण का 2 माह में अंतिम रूप से निस्तारण करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर